रजिस्ट्री सं. डी. एस.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 1993/माघ 15, 1914
No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 1993/MAGHA 15, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(मु. का. कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1993

सं. पी एस बी/स्टाफ/ओ एस आर/1993 :—पंजाब एंड सिंध बैंक का निदेशक मण्डल बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण संस्तुति से, पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम-1982 के विभिन्न विनियमों में संशोधन करता है।

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रभावीकरण :-(1) इन विनियमों को पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम, 1993 कहा जायेगा।

(2) यह विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

विनियम 20 निम्नानुसार संशोधित है :—

20(1) (क) विनियम-16 के उपविनियम-3 के अधीन, यदि बैंक संतुष्ट हो, कि अधिकारी का कार्य निष्पादन असंतोषजनक है या अपर्याप्त है या उसकी ईमानदारी पर वास्तव में संदेह हो या उसे बैंक सेवा में बनाये रखना बैंक के हित के अनुकूल न हो और जहां अनुशासनिक प्रक्रिया के आधार पर उनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई संभव अथवा समीचीन न हो तो समय समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत तीन माह की नोटिस या उसके स्थान पर परिलब्धियां देकर बैंक उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

(ख) इस उप विनियम के अन्तर्गत सेवा समाप्ति के आदेश तब तक नहीं दिये जायेंगे जब तक कि प्रस्तावित आदेश के संदर्भ में प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिये अधिकारी को उचित अवसर नहीं दिया जाता।

(ग) उपरोक्त उप विनियम (क) के अन्तर्गत अधिकारी की सेवा समाप्ति का निर्णय केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ही लिया जायेगा।

(घ) उपरोक्त उपविनियम (क) के अन्तर्गत जारी किये गये किसी भी आदेश के विरुद्ध, 15 दिनों के भीतर अधिकारी कर्मचारी को बैंक के निदेशक मण्डल को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है यदि अपील मंजूर की जाती है तो उपविनियम (क) के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश रद्द माना जायेगा।

(च) ऐसा अधिकारी जिसकी सेवाएं तीन माह के नोटिस के स्थान पर तीन माह की परिलब्धियों का भुगतान करके समाप्त की गई हैं, यदि अपील के बाद उसकी सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द किया जाता है तो जो राशि उसे नोटिस के बदले प्रदत्त की गई थी, उसका समायोजन उसके वेतन में इस प्रकार किया जायेगा जैसे कि सेवाएं समाप्त न की गई हों और वह वैसे नियमों और शर्तों के अन्तर्गत कार्य करता रहेगा जैसे कि सेवा समाप्ति का आदेश जारी न हुआ हो।

(छ) ऐसा अधिकारी जिसकी सेवाएं उप-विनियम (क) के अन्तर्गत समाप्त की गई हो, उसे पूरी की गई सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए नियमों के अन्तर्गत निवृत्ति, नियोजक के अंशदान सहित भविष्य निधि और उसे दिये जाने योग्य अन्य समस्त देयतों का भुगतान किया जायेगा।

(ज) उपरोक्त वर्णित कोई भी बात विनियम 19(1) के अन्तर्गत किसी अधिकारी को सेवा निवृत्त करने के बैंक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

20(2) कोई भी अधिकारी नौकरी छोड़ने, आगे जारी न रखने या त्यागपत्र देने का पूर्वतः अभिप्राय स्पष्ट करते हुए लिखित सूचना दिये बिना बैंक नौकरी नहीं छोड़ सकेगा। नोटिस की अवधि 3 माह की होनी चाहिये और इन विनियमों में निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये तथापि सक्षम प्राधिकारी 3 माह की अवधि को कम भी कर सकता है अथवा नोटिस की आवश्यकता समाप्त कर सकता है।

20(3) (1) कोई भी अधिकारी जिसकी अनुशासनिक कार्यवाही अभी तक अनिर्णीत है वह सक्षम प्राधिकारी के लिखित तौर पर पूर्व अनुमोदन के बगैर न तो बैंक सेवा समापन/छोड़ सकता है और न ही त्यागपत्र दे सकता है और अनुशासनिक कार्यवाही से पहले और बीच में किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया नोटिस या त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं माना जायेगा जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता।

(2) इस विनियम में प्रयोजन हेतु किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही को लम्बित समझा जायेगा यदि उसे निलंबित किया गया हो या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो, कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये तथा इस तब तक लम्बित समझा जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किये जाते।

(3) अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, अधिवर्षिता के दिनांक से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही जारी रहेगी, जैसे कि उसकी सेवा अवधि के दौरान होता, जब तक कि कार्यवाही समाप्त नहीं होती तथा अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते। सम्बन्धित अधिकारी अधिवर्षिता के दिनांक से कोई वेतन और/या भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती और अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते तब तक अधिकारी को भविष्य निधि में अपने अंशदान के सिवाय सेवा निवृत्ति के किसी भी लाभ का भुगतान नहीं किया जायेगा।

दलबीर सिंह, महा प्रबंधक (कार्मिक)

PUNJAB & SIND BANK

(H.O. Personnal Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1993

No. PSB|STAFF|OSR-1993.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of PUNJAB & SIND BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the PUNJAB & SIND BANK (Officers') Service Regulations-1982.

Short Titles & Commencement :

(i) These regulations may be called the Punjab & Sind Bank (Officers') Service (Amendment) Regulation, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in official Gazette.

Regulation 20 stands amended as under :—

20(1) (a) Subject to sub-regulation 3 of Regulation 16, where the Bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bonafide suspicion about his integrity or his retention in the Bank's service would be prejudicial to the interests of the Bank, and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the bank may terminate his services on giving him three months' notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guidelines issued by the Government form time to time.

(b) Order of termination under this sub-regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the Bank against the proposed order.

(c) The decision to terminate the services of an officer employee under sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman & Managing Director.

(d) The officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under sub-regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the Bank. If the appeal is allowed, the order under sub-regulation (a) shall stand cancelled.

(e) Where an officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months emoluments in lieu of notice and on appeal his termination is cancelled, the amount paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in the Bank's employment on same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all.

(f) An officer employee whose services are terminated under sub-regulation (a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules notwithstanding the years of service rendered.

(g) Nothing contained herein above will affect the Bank's right to retire an officer employee under Regulation 19(1).

(2) An officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue his service or resign. The period of notice required shall be 3 months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these regulations Provided further that the Competent Authority may reduce the period of 3 months, or remit the requirement of notice.

(3) (i) An officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave|discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of Competent Authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

(ii) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings shall not be instituted against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.

(iii) The officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and|or allowance after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contribution to CPF.

)ALBIR SINGH, General Manager (Personnel)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993